रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12012021-224356 CG-DL-E-12012021-224356

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 12, 2021/पौष 22, 1942

No. 97] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 12, 2021/PAUSHA 22, 1942

वित्त मंत्रलाय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2021

आय-कर

का.आ. 117(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 274 की उपधारा (2ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 274 की उपधारा (2क) के अधीन बनाई गई पहचानविहीन शास्ति स्कीम, 2021 को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित निदेश देती है, अर्थातु:-

- 1. उक्त अधिनियम के अध्याय 21 और धारा 2, धारा 120, धारा 127, धारा 129, धारा 131, धारा 133, धारा 133ग, धारा 136 के उपबंध निम्नलिखित अपवादों, संशोधनों तथा उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुए उक्त स्कीम के अनुसार शास्ति अधिरोपित करने की प्रक्रिया पर लागू होंगे, और अर्थात्:-
- "(अ). (1) उक्त स्कीम के अधीन शास्ति निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार उद्गृहित की जाएगी, अर्थात:-
- (i) जहां किसी आय-कर प्राधिकारी या राष्ट्रीय पहचानविहिन निर्धारण केन्द्र ने, यदि,-
- (क) शास्ति के अधिरोपण के लिए शास्ति कार्यवाहियां आरंभ की हैं और कारण बताओ नोटिस जारी किया है; या
- (ख) शास्ति कार्यवाहियों को आरंभ करने की सिफारिश की है,

169 GI/2021 (1)

वहां वह ऐसे मामले को पैरा 4 के उपपैरा (आ) के खंड (viii) में निर्दिष्ट प्ररूप में राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र को निर्दिष्ट करेगा;

- (ii) राष्ट्रीय पहचानविहित शास्ति केन्द्र, उस दशा में, जहां उसे खंड (i) के अनुसार निर्देश प्राप्त हुआ है स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से किसी क्षेत्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र की विनिर्दिष्ट शास्ति इकाई को ऐसा मामला समनुदेशित करेगा:
- (iii) जहां ऐसा मामला शास्ति इकाई को समनुदेशित किया गया है, शास्ति कार्यवाहियां आरंभ करने की सिफारिश की गई है, ऐसी इकाई, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री की परीक्षा करने के पश्चात् विनिश्चित कर सकेगी कि,-
- (क) वह सिफारिश से सहमत है और यथास्थिति निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को यह कारण दर्शाने के लिए कि इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन शास्ति उद्गृहित क्यों नहीं की जानी चाहिए, प्रारूप सूचना तैयार कर सकेगी; या
- (ख) ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएं, सिफारिश से असहमत है
- और यथास्थिति ऐसी प्रारूप सूचना या कारणों को राष्ट्रीय पहचानविहिन केन्द्र को भेज सकेगी;
- (iv) राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र, शास्ति इकाई से खंड (iii) में निर्दिष्ट प्रारूप सूचना या कारण प्राप्त होने पर,-
- (क) यथास्थिति, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति पर प्रत्युत्तर फाइल करने के लिए तारीख और समय विनिर्दिष्ट करते हुए खंड (iii) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्ररूप के अनुसार कारण बताओ नोटिस की तामील करायेगा ;या
- (ख) खंड (iii) के उपखंड (ख) में निर्दिष्ट मामलों में शास्ति प्रारंभ नहीं करेगा ;
- (v) जहां मामला, शास्ति इकाई को समनुदेशित किया गया है, शास्ति कार्यवाहियां पहले ही प्रारंभ हैं, ऐसी इकाई, यथास्थिति, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को यह कारण बताने के लिए कि इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन शास्ति का उद्गहण क्यों नहीं किया जाना चाहिए, प्रारूप सूचना तैयार करेगी और ऐसी सूचना को राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र को भेजेगी;
- (vi) राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र, यथास्थिति, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति पर प्रत्युत्तर फाइल करने के लिए तारीख और समय विनिर्दिष्ट करते हुए खंड (v) में निर्दिष्ट कारण बताओं नोटिस की तामील कराएगा ;
- (vii) यथास्थिति, निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति खंड (iv) के उपखंड (क) या खंड (vi) में निर्दिष्ट कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर उसमें विनिर्दिष्ट तारीख और समय के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई तारीख और समय, जो इस संबंध में किए गए आवेदन के आधार पर अनुज्ञात की जाए, राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र के समक्ष फाइल करेगा।
- (viii) जहां प्रत्युत्तर, यथास्थिति, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा फाइल किया जाता है, राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र, ऐसे प्रत्युत्तर को शास्ति इकाई को भेजेगा और जहां ऐसा प्रत्युत्तर फाइल नहीं किया जाता तो उसकी सूचना शास्ति इकाई को देगा:
- (ix) शास्ति इकाई, राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र को –
- (क) किसी आय-कर प्राधिकारी या राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र से कोई अतिरिक्त सूचना, दस्तावेज या साक्ष्य प्राप्त करने के लिए ;या
- (ख) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से कोई अतिरिक्त सूचना, दस्तावेज या साक्ष्य प्राप्त करने के लिए ;या
- (ग) तकनीकी सहायता चाहने के लिए या सत्यापन संचालित करने के लिए,अनुरोध कर सकेगा;
- (x) राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र, खंड (ix) के उपखंड (क) या उपखंड (ख) में विनिर्दिष्ट अनुरोध की प्राप्ति पर, यथास्थिति, आय-कर प्राधिकारी या राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र या निर्धारिती या अथवा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी सूचना, दस्तावेज या साक्ष्य जो शास्ति इकाई द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए प्रस्तुत करने के लिए प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए तारीख और समय विनिर्दिष्ट करते हुए समुचित सूचना या अध्यपेक्षा जारी करेगा;

- (xi) यथास्थिति, आय-कर प्राधिकारी या राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र या निर्धारिती अथवा कोई अन्य व्यक्ति खंड (x) में यथा-विनिर्दिष्ट सूचना या अध्यपेक्षा का प्रत्युत्तर उसमें विनिर्दिष्ट तारीख और समय के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई तारीख और समय के भीतर जो इस संबंध में किए गए किसी आवेदन के आधार पर अनुज्ञात किया जाए, राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र को प्रस्तुत करेगा;
- (xii) जहां शास्ति इकाई द्वारा कतिपय जांच के संचालन या सत्यापन अथवा तकनीकी सहायता चाहने के लिए अनुरोध किया जाता है, राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति इकाई, ऐसे अनुरोध को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तारीख और समय विनिर्दिष्ट करते हुए, राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र को भेजेगी;
- (xiii) जहां यथास्थिति, आय-कर प्राधिकारी या राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र या निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति द्वारा खंड (x) में निर्दिष्ट नोटिस का प्रत्युत्तर फाइल किया जाता है वहां राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र ऐसे प्रत्युत्तर को शास्ति इकाई को भेजेगा और जहां ऐसा कोई प्रत्युत्तर फाइल नहीं किया जाता है तो उसकी सूचना शास्ति इकाई को भेजेगा;
- (xiv) जहां राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र द्वारा खंड (xii) में निर्दिष्ट अनुरोध के प्रत्युत्तर में रिपोर्ट प्राप्त की जाती है को वह ऐसी रिपोर्ट शास्ति इकाई को भेजेगा और जहां ऐसी रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जाती है वहां उसकी सूचना शास्ति इकाई को भेजेगा;
- (xv) शास्ति इकाई, अभिलेख पर की सामग्री पर, जिसके अंतर्गत खंड (viii) या खंड (xiii) में यथा-निर्दिष्ट प्रत्युत्तर, यदि कोई हो अथवा खंड (xiv) में यथा-निर्दिष्ट रिपोर्ट, यदि कोई हो, भी हैं, विचार करने के पश्चात्,-
- (क) शास्ति के अधिरोपण और शास्ति के अधिरोपण के लिए प्रारूप आदेश तैयार करने का ;या
- (ख) शास्ति अधिरोपित नहीं करने का ;
- ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं, प्रस्ताव करेगी और यथास्थिति ऐसे प्रारूप आदेश या कारणों के साथ प्रस्ताव को राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र को भेजेगी;
- (xvi) राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट जोखिम प्रबंध रणनीति के अनुसार जिसके अंतर्गत स्वचालित परीक्षा औजार माध्यम भी है, खंड (xv) में यथा-निर्दिष्ट प्रस्ताव की परीक्षा करेगा, इसके पश्चात् वह विनिश्चित कर सकेगा,-
- (क) उस दशा में, जहां शास्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव किया जाता है, खंड (xv) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रारूप आदेश के अनुसार शास्ति आदेश पारित करना और उसकी एक प्रति की तामील यथास्थिति, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति पर करना; या
- (ख) उस दशा में, जहां शास्ति अधिरोपित नहीं करने का प्रस्ताव किया जाता है, यथास्थिति निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति पर सूचना के अधीन शास्ति अधिरोपित नहीं करना ; या
- (ग) ऐसे प्रस्ताव का पुनर्विलोकन संचालित करने के लिए किसी स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से किसी क्षेत्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र में शास्ति पुनर्विलोकन इकाई को मामला समनुदेशित करना ;
- (xvii) शास्ति पुनर्विलोकन इकाई, खंड (xv) में यथा-निर्दिष्ट शास्ति इकाई के प्रस्ताव का पुनर्विलोकन करेगी इसके पश्चात् वह ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं ऐसे प्रस्ताव से सहमत हो सकेगी या उपांतरण का सुझाव दे सकेगी और उसकी सूचना राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र को दे सकेगी ;
- (xviii) जहां शास्ति पुनर्विलोकन इकाई, शास्ति इकाई के प्रस्ताव के साथ सहमत हैं, वहां राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र, खंड (xvi) के उपखंड (क) या उपखंड (ख) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।
- (xix) जहां शास्ति पुनर्विलोकन इकाई, खंड (xv) के उपखंड (क) या उपखंड (ख) में के प्रस्ताव के उपांतरण का सुझाव देती है, वहां राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र, स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से किसी क्षेत्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र में, खंड (xv) में निर्दिष्ट शास्ति इकाई से भिन्न विनिर्दिष्ट शास्ति इकाई को मामला समनुदेशित करेगा;

- (xx) जहां मामला खंड (xix) में यथानिर्दिष्ट शास्ति इकाई को समनुदेशित किया जाता है, ऐसी शास्ति इकाई उपांतरण के लिए सुझावों और शास्ति पुनर्विलोकन इकाई द्वारा अभिलिखित कारणों सहित अभिलेख पर की सामग्री पर विचार करने के पश्चात्,-
- (क) उस दशा में, जहां शास्ति पुनर्विलोकन इकाई द्वारा सुझाए गए उपांतरण, यथास्थिति, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के हित पर, खंड (xv) के अधीन शास्ति इकाई के प्रस्तावों की तुलना में प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, वहां खंड (v) से खंड (xiv) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी और शास्ति के अधिरोपण के लिए पुनरीक्षित प्रारुप आदेश तैयार करेगी; या
- (ख) उस दशा में, जहां उपांतरण, यथास्थिति, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं, शास्ति के अधिरोपण के लिए पुनरीक्षित प्रारूप आदेश तैयार करेगी ; या
- (ग) ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएं, शास्ति अधिरोपित नहीं किए जाने का प्रस्ताव कर सकेगी, और ऐसे आदेश या कारणों को राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र भेजेगी;
- (xxi) राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र, शास्ति इकाई से खंड (xx) में यथानिर्दिष्ट पुनरीक्षित प्रारूप आदेश प्राप्त होने पर ऐसे प्रारूप के अनुसार शास्ति आदेश पारित करेगा और उसकी एक प्रति की तामील निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति पर करेगा अथवा यथास्थिति, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति पर सूचना के अधीन शास्ति का अधिरोपण नहीं करेगा;
- (xxii) उस मामले में, जहां राष्ट्रीय पहचानिविहिन शास्ति केन्द्र ने खंड (i) के उपखंड (क) या उपखंड (ख) में यथा-निर्दिष्ट शास्ति आदेश पारित किया है या यथास्थिति शास्ति का प्रारंभ या अधिरोपण नहीं किया है, वह ऐसे आदेश या शास्ति प्रारंभ या अधिरोपित नहीं किए जाने के कारणों की एक प्रति, यथास्थिति, खंड (i) में निर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी या राष्ट्रीय पहचानिविहिन शास्ति केन्द्र को ऐसी कार्रवाई के लिए, जो इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित की जाए, भेजेगा।
- (2) उपपैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र का भारसाधक प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक शास्ति कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर यदि आवश्यक समझे ऐसे कार्यवाहियों को बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से, उन मामलों में, जिनमें शास्ति कार्यवाहियां आरंभ की गई हैं, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले आय-कर प्राधिकारी या राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र को अंतरित कर सकेगा।
- (आ). (1) किसी व्यक्ति को, उक्त स्कीम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र या क्षेत्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र या शास्ति इकाई अथवा उक्त स्कीम के अधीन स्थापित शास्ति पुनर्विलोकन स्कीम पर, आय-कर प्राधिकारी के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित अपेक्षित नहीं होगा।
- (2) यथास्थिति, निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुरोध कर सकेगा ताकि वह उक्त स्कीम के अधीन शास्ति इकाई के समक्ष मौखिक अनुरोध कर सके या उसके मामले को प्रस्तुत कर सके।
- (3) क्षेत्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र का भारसाधक मुख्य आयुक्त या महानिदेशक जिसके अधीन संबंधित शास्ति इकाई स्थापित की गई है, उपपैरा (2) में यथा-निर्दिष्ट व्यक्तिगत सुनवाई के अनुरोध का अनुमोदन कर सकेगा, यदि उसकी यह राय है कि अनुरोध पैरा (4) के उपपैरा (आ) के खंड (ix) के अधीन अधिकथित परिस्थितियों द्वारा समाविष्ट होता है।
- (4) जहां क्षेत्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र के भारसाधक मुख्य आयुक्त या महानिदेशक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के अनुरोध का अनुमोदन कर दिया गया है, ऐसी सुनवाई, बोर्ड द्वारा अथिकथित प्रक्रिया के अनुसार, अनन्य रूप से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित की जाएगी जिसके अंतर्गत किसी संसूचना उपयोजन, साफ्टवेयर जो वीडियो टेलीफोनी को स्पोर्ट करता है, का उपयोग भी है।
- (5) बोर्ड, ऐसे स्थानों पर जो आवश्यक समझे जाएं, वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए उपयुक्त सुविधाओं की स्थापना करेगा जिसके अंतर्गत संसूचना उपयोजन साफ्टवेयर जो वीडियो टेलीफोनी को स्पोर्ट करता है, भी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उक्त स्कीम के फायदे से केवल इस आधार पर इंकार नहीं किया जाए, कि ऐसा निर्धारिती या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि या कोई अन्य व्यक्ति उसकी ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग तक पहुंच नहीं रखता है।

(इ). उक्त अधिनियम की धारा 246क के उपबंध निम्नलिखित अपवादों, संशोधनों तथा उपांतरणों के अध्यधीन उक्त स्कीम के अनुसार अधिरोपित शास्ति से उद्भूत अपीलीय आदेशों पर लागू होंगे, अर्थात्:-

"उक्त स्कीम के अधीन, राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र द्वारा पारित शास्ति आदेश के विरुद्ध अपील, यथास्थिति, अधिकारितायुक्त आय-कर प्राधिकारी पर अधिकारिता रखने वाले आयुक्त (अपील) के समक्ष या राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र के समक्ष की जाएगी और राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र से किसी संसूचना में आयुक्त (अपील) को किसी निर्देश का अर्थ, यथास्थिति, ऐसे अधिकारितायुक्त आयुक्त (अपील) या राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केन्द्र को निर्देश होगा। "

2. उक्त अधिनियम की धारा 140 और धारा 282क के उपबंध निम्नलिखित अपवादों, संशोधनों तथा उपांतरणों के अध्यधीन उक्त स्कीम के अनुसार शास्ति कार्यवाहियों पर लागू होंगे, अर्थात्:-

"एक इलैक्टानिक अभिलेख .--

- (i) राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केंद्र उसके डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा;
- (ii) निर्धारिति या किसी अन्य व्यक्ति उनके डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा, यदि उससे नियमों के अधीन उसकी आय-कर विवरणी डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत करना अपेक्षित है और किसी अन्य दशा में, उसके डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कूट के अधीन,

अधिप्रमाणित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.— इस पैरा के प्रयोजनों के लिए "इलैक्ट्रानिक सत्यापन कूट" का वही अर्थ होगा जो उसका इन नियमों के नियम 12 में है।"।

- 3. उक्त अधिनियम की धारा 154 और धारा 155 के उपबंध निम्नलिखित अपवादों, संशोधनों तथा उपांतरणों के अध्यधीन उक्त स्कीम के अनुसार पारित आदेश पर लागू होंगे, अर्थात्:-
- "(1) राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केंद्र, अभिलेख पर प्रकट किसी भूल का सुधार करने की दृष्टि से उसके द्वारा इस स्कीम के अधीन पारित किसी आदेश का लिखित आदेश द्वारा संशोधन कर सकेगा ।
- (2) उक्त स्कीम के उपबंधों के अध्ययधीन रहते हुए, उपपैरा (1) में यथा-निर्दिष्ट सुधार के लिए कोई आवेदन,--
- (क) यथास्थिति, निर्धारिति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा; या
- (ख) शास्ति इकाई द्वारा, जिसने आदेश पारित किया है; या
- (ग) शास्ति पुनर्विलोकन इकाई द्वारा, जिसने आदेश तैयार किया है
- (घ) आय-कर प्राधिकारी द्वारा; या
- (ङ) राष्ट्रीय पहचानविहिन निर्धारण केंद्र द्वारा

राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केंद्र के समक्ष फाईल किए जा सकेंगे।

- (3) जहां उप-पैरा (2) में यथा-निर्दिष्ट कोई आवेदन राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केंद्र द्वारा प्राप्त किया जाता है, वह स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से किसी क्षेत्रीय पहचानविहिन शास्ति केंद्र की विनिर्दिष्ट शास्ति इकाई को ऐसा आवेदन समनुदेशित करेगा।
- (4) शास्ति इकाई आवेदन की परीक्षा करेगी और —
- (क) यथास्थिति, निर्धारिति या किसी अन्य व्यक्ति को, जहां आवेदन उप-पैरा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) अथवा खंड (ङ) में निर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा फाईल किया गया है; या
- (ख) उप-पैरा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) अथवा खंड (ङ) में निर्दिष्ट प्राधिकारियों को, जहां आवेदन यथास्थिति, निर्धारिति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा फाईल किया गया है,

सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नोटिस तैयार करेगी और राष्ट्रीय पहचान विहित शास्ति केंद्र को नोटिस भेजेगी ।

- (5) राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केंद्र, यथास्थिति, निर्धारिति या किसी अन्य व्यक्ति पर या उप-पैरा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) अथवा खंड (ङ) में निर्दिष्ट प्राधिकारियों पर, यह कारण बताने के लिए कि अधिनियम से सुसंगत उपबंधों के अधीन भूल सुधार क्यों नहीं की जानी चाहिए, प्रत्युत्तर फाईल करने की तारीख और समय विनिर्दिष्ट करते हुए, उप-पैरा (4) में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार नोटिस की तामील कराएगा।
- (6) उप-पैरा (5) में निर्दिष्ट कारण बताओं नोटिस का प्रत्युत्तर, विनिर्दिष्ट तारीख और समय के भीतर या इस संबंध में किए गए आवेदन के आधार पर, बढ़ाए गए समय के भीतर, जो अनुज्ञात किया जाए, राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केंद्र को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (7) जहां उप-पैरा (6) में यथा-निर्दिष्ट प्रत्युत्तर फाईल किया जाता है, राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केंद्र, ऐसा प्रत्युत्तर शास्ति इकाई को भेजेगा और जहां ऐसा प्रत्युत्तर फाइल नहीं किया जाता तो उसकी सूचना शास्ति इकाई को देगा ;
- (8) शास्ति इकाई, उप-पैरा (7) में यथा-निर्दिष्ट किसी प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्,--
- (क) भूल सुधार के लिए; या
- (ख) सुधार के लिए आवेदन को खारिज के लिए, उसके कारणों का उल्लेख करते हुए,

प्रारूप आदेश तैयार करेगी और उसे राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केंद्र को भेजेगी।

- (9) राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केंद्र, उप-पैरा (8) में यथा-निर्दिष्ट प्रारूप आदेश प्राप्त होने पर ऐसे प्रारूप के अनुसार आदेश पारित करेगा और उसे,--
- (क) यथास्थिति, निर्धारिति या किसी अन्य व्यक्ति को; और
- (ख) ऐसी कार्रवाई के लिए, जो अधिनियम के अधीन अपेक्षित की जाए, मामलें पर अधिकारिता रखने वाले, राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केंद्र या आय-कर प्राधिकारी को,

ऐसा आदेश संसूचित करेगा;"

- 4. उक्त अधिनियम की धारा 282, धारा 283 और धारा 284 के उपबंध निम्नलिखित अपवादों, संशोधनों तथा उपांतरणों के अध्यधीन उक्त स्कीम को लागू होंगे, अर्थातु:-
- **"(अ).** (1) उक्त स्कीम के अधीन प्रत्येक नोटिस या आदेश अथवा कोई अन्य इलैक्ट्रानिक संसूचना, प्रेषिति, जो निर्धारिति है या किसी अन्य व्यक्ति को,--
- (क) यथास्थिति, निर्धारिति या किसी अन्य व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत खाते में, उसकी अधिप्रमाणित प्रति रख करके; या
- (ख) यथास्थिति, निर्धारिति या किसी अन्य व्यक्ति अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते पर उसकी अधिप्रमाणित प्रति भेज करके; या
- (ग) यथास्थिति, निर्धारिति या किसी अन्य व्यक्ति के मोबाईल एप पर अधिप्रमाणित प्रति अपलोड करके, परिदत्त की जाएगी और वास्तविक समय अलर्ट का अनुसरण किया जाएगा।
- (2) उक्त स्कीम के अधीन प्रत्येक नोटिस या आदेश अथवा कोई अन्य इलैक्ट्रानिक संसूचना, प्रेषिति को, जो कोई अन्य व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते पर उसकी अधिप्रमाणित प्रति भेज करके परिदत्त की जाएगी और वास्तविक समय अलर्ट का अनुसरण किया जाएगा।
- (3) यथास्थिति, निर्धारिति या कोई अन्य व्यक्ति, उक्त स्कीम के अधीन ऐसी सूचना या आदेश अथवा कोई अन्य इलैक्ट्रानिक संसूचना, का उसके रजिस्ट्रीकृत खाते के माध्यम से प्रत्युत्तर फाईल करेगा और जब प्रत्युत्तर के सफल प्रस्तुतीकरण पर जनित हैश परिणाम अंतर्विष्ट करने वाली पावती राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केंद्र द्वारा भेजी जाती है, प्रत्युत्तर अधिप्रमाणित समझा जाएगा।
- (4) भेजने का समय और स्थान तथा इलैक्ट्रानिक अभिलेख की पावती का अवधारण सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के अनुसार किया जाएगा।

- (आ). राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केंद्र का भारसाधक, प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से, स्वचालित और यंत्रीकृत वातावरण में, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित के संबंध में रूपविधान, रीति, प्रक्रिया और कार्यवाही भी है, उक्त स्कीम के अधीन स्थापित राष्ट्रीय पहचानविहिन शास्ति केंद्र, क्षेत्रीय पहचानविहिन शास्ति केंद्र, शास्ति इकाई या शास्ति पुनर्विलोकन इकाई के प्रभावी कृत्यकारी के लिए मानक, प्रकिया और कार्यवाही अधिकथित करेगा, अर्थात्:--
- (i) सूचना या आदेश अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रानिक संसूचना की तामील;
- (ii) किसी व्यक्ति से सूचना, आदेश अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रानिक संसूचना के प्रत्युत्तर में किसी सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति;
- (iii) किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर की पावती जारी करना;
- (iv) "ई-कार्यवाही" सुविधा के उपबंध, जिसके अंतर्गत लॉग-इन खाता सुविधा, शास्ति कार्यवाहियों की प्रास्थिति का पता लगाना, सुसंगत ब्यौरों का प्रदर्शन और डाऊन-लोड सुविधा भी है;
- (v) सूचना और प्रत्युत्तर तक पहुच, सत्यापन और अधिप्रमाणन, जिसके अतंर्गत शास्ति कार्यवाहियों के दौरान दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण भी है;
- (vi) केंद्रीयकृत रीति में सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति, भंडारण और पुन:प्राप्ति;
- (vii) संबंधित केंद्रों और इकाईयों में, साधारण प्रशासन और शिकायत निवारण तंत्र;
- (viii) मामले को निर्दिष्ट करने के लिए प्ररूप, जिसमें उक्त स्कीम के पैरा 5 के उप-पैरा (1) के खंड (i) में यथा निर्दिष्ट शास्ति प्रारंभ की जा चुकी है या शास्ति प्रारंभ करने की शिफारिश की गई है, और
- (ix) वह परिस्थितियां, जिनमें उक्त स्कीम के पैरा 11 के उप-पैरा (3) के अनुसार व्यैक्तिक सुनवाई अनुमोदित की जाए ।"
- 5. यह अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगी।

[अधिसूचना सं. 03/2021/फा. सं. 370142/51/2020-टीपीएल]

शेफाली सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2021

INCOME-TAX

- **S.O. 117(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2B) of section 274 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), for the purposes of giving effect to the Faceless Penalty Scheme, 2021 made under sub-section (2A) of section 274 of the said Act, the Central Government hereby makes the following directions, namely:—
- 1. The provisions of section 2, section 120, section 127, section 129, section 131, section 133, section 133C, section 136 and Chapter XXI of the said Act shall apply to the procedure for imposing penalty in accordance with the said Scheme subject to the following exceptions, modifications and adaptations, namely:—
- "(A). (1) The penalty shall be levied under the said Scheme as per the following procedure, namely:—
 - (i) where any income-tax authority or the National Faceless Assessment Centre has, in a case,—
 - (a) initiated penalty proceedings and issued a show-cause notice for imposition of penalty; or
 - (b) recommended initiation of penalty proceedings,
 - it shall refer such case, in the form specified in clause (viii) of sub-paragraph (B) of paragraph 4, to the National Faceless Penalty Centre;

- (ii) the National Faceless Penalty Centre shall in a case, where reference has been received as per clause (i), assign such case to a specific penalty unit in any one of the Regional Faceless Penalty Centres through an automated allocation system;
- (iii) where in a case assigned to a penalty unit, initiation of penalty proceedings has been recommended, such unit, after examination of the material available on record, may decide to,—
 - (a) agree with the recommendation and prepare a draft notice calling upon the assessee or any other person, as the case may be, to show cause as to why penalty should not be levied under the relevant provisions of the Act; or
 - (b) disagree with the recommendation, for reasons to be recorded in writing,
 - and send such draft notice or the reasons, as the case may be, to the National Faceless Penalty Centre;
- (iv) the National Faceless Penalty Centre shall upon receipt of the draft notice or reasons referred to in clause (iii) from the penalty unit,—
 - (a) serve the show-cause notice, as per the draft referred to in sub-clause (a) of clause (iii), upon the assessee or any other person, as the case may be, specifying the date and time for filing a response; or
 - (b) not initiate penalty in cases referred to in sub-clause (b) of clause (iii);
- (v) where in the case assigned to a penalty unit, penalty proceedings are already initiated, such unit shall prepare a draft notice calling upon the assessee or any other person, as the case may be, to show cause as to why penalty should not be levied under the relevant provisions of the Act and send such notice to the National Faceless Penalty Centre;
- (vi) the National Faceless Penalty Centre shall serve the show-cause notice, as per draft referred to in clause (v), upon the assessee or any other person, as the case may be, specifying the date and time for filing a response;
- (vii) the assessee or any other person, as the case may be, shall file a response to the show-cause notice, referred to in sub-clause (a) of clause (iv) or in clause (vi), within the date and time specified therein, or such extended date and time as may be allowed on the basis of an application made in this behalf, with the National Faceless Penalty Centre;
- (viii) where response is filed by the assessee or any other person, as the case may be, the National Faceless Penalty Centre shall send such response to the penalty unit, and where no such response is filed, inform the penalty unit;
- (ix) the penalty unit may make a request to the National Faceless Penalty Centre for
 - (a) obtaining further information, documents or evidence from any income-tax authority or the National Faceless Assessment Centre; or
 - (b) obtaining further information, documents or evidence from the assessee or any other person; or
 - (c) seeking technical assistance or conducting verification;
- (x) the National Faceless Penalty Centre shall, upon receipt of request, referred to in sub-clauses (a) or (b) of clause (ix), issue appropriate notice or requisition to the income-tax authority or the National Faceless Assessment Centre or the assessee or any other person, as the case may be, to submit such information, documents or evidence, as may be specified by the penalty unit, specifying the date and time for furnishing a response;
- (xi) the income-tax authority or the National Faceless Assessment Centre or the assessee or any other person, as the case may be, shall furnish a response to the notice or requisition, as referred to in clause (x), within the date and time specified therein, or such extended date and time as may be allowed on the basis of an application made in this behalf, to the National Faceless Penalty Centre;

- (xii) where a request for conducting of certain enquiry or verification or seeking technical assistance has been made by the penalty unit, the National Faceless Penalty Unit shall send such request to the National Faceless Assessment Centre specifying a date and time for submitting a report;
- (xiii) where response to notice referred to in clause (x) is filed by the income-tax authority or the National Faceless Assessment Centre or the assessee or any other person, as the case may be, the National Faceless Penalty Centre shall send such response to the penalty unit, and where no such response is filed, inform the penalty unit;
- (xiv) where a report in response to request referred to in clause (xii) is received by the National Faceless Penalty Centre, it shall send such report to the penalty unit, and where no such report is received, inform the penalty unit;
- (xv) the penalty unit shall, after considering the material on record including response furnished, if any, as referred to in clauses (viii) and (xiii) or report, if any, as referred to in clause (xiv), propose for,—
 - (a) imposition of the penalty and prepare a draft order for imposition of penalty; or
 - (b) non-imposition of the penalty;
 - for reasons to be recorded in writing and send the proposal along with such draft order or reasons, as the case may be, to the National Faceless Penalty Centre;
- (xvi) the National Faceless Penalty Centre shall examine the proposal, as referred to in clause (xv), in accordance with the risk management strategy specified by the Board, including by way of an automated examination tool, whereupon it may decide,
 - (a) in a case where imposition of penalty has been proposed, to pass the penalty order as per draft order referred to in sub-clause (a) of clause (xv), and serve a copy thereof upon the assessee or any other person, as the case may be; or
 - (b) in a case where non-imposition of penalty has been proposed, not to impose penalty under intimation to the assessee or any other person, as the case may be; or
 - (c) assign the case to a penalty review unit in any one of the Regional Faceless Penalty Centres through an automated allocation system, for conducting review of such proposal;
- (xvii) the penalty review unit shall review the proposal of penalty unit, as referred to in clause (xv), whereupon it may concur with, or suggest modification to, such proposal, for reasons to be recorded in writing, and intimate the National Faceless Penalty Centre;
- (xviii) where the penalty review unit concurs with the proposal of penalty unit, the National Faceless Penalty Centre shall follow the procedure laid down in sub-clause (a) or sub-clause (b) of clause (xvi);
- (xix) where the penalty review unit suggests modification to the proposal in sub-clause (a) or sub-clause (b) of clause (xv), the National Faceless Penalty Centre shall assign the case to a specific penalty unit, other than the penalty unit referred to in clause (xv), in any one of the Regional Faceless Penalty Centres through an automated allocation system;
- (xx) where the case is assigned to a penalty unit, as referred to in clause (xix), such penalty unit after considering the material on record including suggestions for modification and reasons recorded by the penalty review unit,
 - (a) in a case where the modifications suggested by the penalty review unit are prejudicial to the interest of assessee or any other person, as the case may be, as compared to the proposal of the penalty unit under clause (xv), shall follow the procedure laid down in clauses (v) to (xiv) and prepare a revised draft order for imposition of penalty; or
 - (b) in a case where the modification are not prejudicial to the interest of assessee or any other person, as the case may be, shall prepare a revised draft order for imposition of penalty; or
 - (c) may propose non-imposition of penalty, for reasons to be recorded in writing, and send such order or reasons to the National Faceless Penalty Centre;

- (xxi) upon receipt of revised draft order from the penalty unit, as referred to in clause (xx), the National Faceless Penalty Centre shall pass the penalty order as per such draft and serve a copy thereof upon the assessee or any other person or not impose penalty under intimation to the assessee or any other person, as the case may be;
- (xxii) where in a case, as referred to in sub-clause (a) or (b) of clause (i), the National Faceless Penalty Centre has passed a penalty order, or not initiated or imposed penalty, as the case may be, it shall send a copy of such order or reasons for not initiating or imposing penalty to the income-tax authority, referred to in clause (i) or the National Faceless Assessment Centre, as the case may be, for such action as may be required under the Act.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1), the Principal Chief Commissioner or the Principal Director General, in charge of National Faceless Penalty Centre, may at any stage of the penalty proceedings, if considered necessary, transfer such proceedings to the income-tax authority or National Faceless Assessment Centre having jurisdiction over the assessee or any other person, in whose case the penalty proceedings are initiated, with the prior approval of the Board.
- **(B).** (1) A person shall not be required to appear either personally or through authorised representative in connection with any proceedings under the said Scheme before the income-tax authority at the National Faceless Penalty Centre or Regional Faceless Penalty Centre or penalty unit or penalty review unit set up under the said Scheme.
- (2) The assessee or any other person, as the case may be, or his authorised representative, may request for personal hearing so as to make his oral submissions or present his case before the penalty unit under the said Scheme.
- (3) The Chief Commissioner or the Director General, in charge of the Regional Faceless Penalty Centre, under which the concerned penalty unit is set up, may approve the request for personal hearing, as referred to in sub-paragraph (2), if he is of the opinion that the request is covered by the circumstances laid down under clause (ix) of sub-paragraph B of paragraph 4.
- (4) Where the request for personal hearing has been approved by the Chief Commissioner or the Director General, in charge of the Regional Faceless Penalty Centre, such hearing shall be conducted exclusively through video conferencing, including use of any telecommunication application software which supports video telephony, in accordance with the procedure laid down by the Board;
- (5) The Board shall establish suitable facilities for video conferencing including telecommunication application software which supports video telephony at such locations as may be necessary, so as to ensure that the assessee, or his authorised representative, or any other person is not denied the benefit of the said Scheme merely on the ground that such assessee or his authorised representative, or any other person does not have access to video conferencing at his end.
- **(C).** The provision of section 246A of the said Act shall apply to appealable orders arising out of penalty imposed in accordance with the said Scheme subject to the following exceptions, modifications and adaptations, namely:-
- "An appeal against a penalty order made by the National Faceless Penalty Centre under the said Scheme shall lie before the Commissioner (Appeals) having jurisdiction over the jurisdictional income-tax authority or before the National Faceless Appeal Centre, as the case may be; and any reference to the Commissioner (Appeals) in any communication from the National Faceless Penalty Centre shall mean such jurisdictional Commissioner (Appeals) or the National Faceless Appeal Centre, as the case may be.
- 2. The provisions of section 140 and section 282A of the said Act shall apply to the penalty proceedings in accordance with the said Scheme subject to the following exceptions, modifications and adaptations, namely:—

"an electronic record shall be authenticated by the,—

- (i) National Faceless Penalty Centre by affixing its digital signature;
- (ii) the assessee or any other person, by affixing his digital signature if he is required under the Rules to furnish his return of income under digital signature, and in any other case by affixing his digital signature or under electronic verification code.

Explanation. — For the purposes of this paragraph, "electronic verification code" shall have the same meaning as referred to in rule 12 of the Rules.".

- 3. The provisions of section 154 and section 155 of the said Act shall apply to the order passed in accordance with the said Scheme subject to the following exceptions, modifications and adaptations, namely:—
 - "(1) With a view to rectifying any mistake apparent on the record, the National Faceless Penalty Centre may, by an order to be passed in writing, amend any order passed by it under the said Scheme.
 - (2) Subject to the other provisions of the said scheme, an application for rectification of mistake, as referred to in sub-paragraph (1), may be filed with the National Faceless Penalty Centre by the,
 - (a) assessee or any other person, as the case may be; or
 - (b) penalty unit, which prepared the order; or
 - (c) penalty review unit, which reviewed the order; or
 - (d) income-tax authority; or
 - (e) National Faceless Assessment Centre.
 - (3) Where an application, as referred to in sub-paragraph (2), is received by the National Faceless Penalty Centre, it shall assign such application to a specific penalty unit in any one of the Regional Faceless Penalty Centres through an automated allocation system.
 - (4) The penalty unit shall examine the application and prepare a notice for granting an opportunity—
 - (a) to the assessee or any other person, as the case may be, where the application has been filed by the authorities referred to in clause (b) or (c) or (d) or (e) of sub-paragraph (2); or
 - (b) to the authorities referred to in clause (b) or (c) or (d) or (e) of sub-paragraph (2), where the application has been filed by the assessee or any other person, as the case may be, and send the notice to the National Faceless Penalty Centre.
 - (5) The National Faceless Penalty Centre shall serve the notice, as per draft referred to in sub-paragraph (4), upon the assessee or any other person, as the case may be, or authorities referred to in clause (b) or (c) or (d) or (e) of sub-paragraph (2) to show cause as to why rectification of mistake should not be carried out under the relevant provisions of the Act, specifying the date and time for filing a response.
 - (6) The response to the show-cause notice referred to in paragraph (5) shall be furnished within the specified date and time or such extended time as may be allowed on the basis of application made in this behalf, to the National Faceless Penalty Centre.
 - (7) Where a response, as referred to in sub-paragraph (6), is filed, the National Faceless Penalty Centre shall send such response to the penalty unit, or where no such response is filed, inform the penalty unit.
 - (8) The penalty unit shall, after taking into consideration the response, if any, referred to in subparagraph (7), prepare a draft order,—
 - (a) for rectification of the mistake; or
 - (b) for rejection of application for rectification, citing reasons thereof, and send the order to the National Faceless Penalty Centre.
 - (9) The National Faceless Penalty Centre shall upon receipt of draft order, as referred to in subparagraph (8), pass an order as per such draft and communicate such order to,
 - (a) the assessee or any other person, as the case may be; and
 - (b) the National Faceless Assessment Centre or the income-tax authority having jurisdiction over the case for such action as may be required under the Act;".
- 4. The provisions of section 282, section 283 and section 284 of the said Act shall apply to the said Scheme subject to the following exceptions, modifications and adaptations, namely:—

- "(A). (1) Every notice or order or any other electronic communication under the said Scheme shall be delivered to the addressee, being the assessee or any other person, by way of,—
 - (a) placing an authenticated copy thereof in the assessee's or any other person's registered account, as the case may be; or
 - (b) sending an authenticated copy thereof to the registered email address of the assessee or any other person, as the case may be, or his authorised representative; or
 - (c) uploading an authenticated copy on the assessee's or any other person's Mobile App, as the case may be, and

followed by a real time alert.

- (2) Every notice or order or any other electronic communication under the said Scheme shall be delivered to the addressee, being any other person, by sending an authenticated copy thereof to the registered email address of such person, followed by a real time alert.
- (3) The assessee or any other person, as the case may be, shall file his response to any notice or order or any other electronic communication, under the said Scheme, through his registered account, and once an acknowledgement is sent by the National Faceless Penalty Centre containing the hash result generated upon successful submission of response, the response shall be deemed to be authenticated.
- (4) The time and place of dispatch and receipt of electronic record shall be determined in accordance with the provisions of section 13 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).
- **(B).** The Principal Chief Commissioner or the Principal Director General, in charge of the National Faceless Penalty Centre shall, with the approval of Board, lay down the standards, procedures and processes for effective functioning of the National Faceless Penalty Centre, the Regional Faceless Penalty Centre, the penalty unit and the penalty review unit set-up under the said Scheme, in an automated and mechanised environment, including format, mode, procedure and processes in respect of the following, namely:—
 - (i) service of the notice, order or any other communication;
 - (ii) receipt of any information or documents from the person in response to the notice, order or any other communication;
 - (iii) issue of acknowledgment of the response furnished by the person;
 - (iv) provision of "e-proceedings" facility including login account facility, tracking status of penalty proceedings, display of relevant details, and facility of download;
 - (v) accessing, verification and authentication of information and response including documents submitted during the penalty proceedings;
 - (vi) receipt, storage and retrieval of information or documents in a centralised manner;
 - (vii) general administration and grievance redressal mechanism in the respective Centres and units;
 - (viii) form for referring a case, in which penalty has been initiated or initiation of penalty has been recommended, as referred to in clause (i) of sub-paragraph (1) of paragraph 5 of the said Scheme, and
 - (ix) circumstances in which personal hearing may be approved as per sub-paragraph (3) of paragraph 11 of the said Scheme."
- 5. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 03/2021/F. No. 370142/51/2020-TPL] SHEFALI SINGH, Under Secy.